स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–227132

संख्या ई – 10041 /8–जी0एस0/2002
दिनांक : 28/12/ 2011

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (विधि),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

विषयः–संस्कृत शिक्षा के उन्नयन, विकास एवं संस्कृत शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु परिनियमावली में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्रांक सा 2680/2004, दिनांक 16–06–2004 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या–3875/सत्तर–2–2001–16(39/98 टी0सी0, दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27–3–2003 में पारित प्रस्ताव को महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–50(4) के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जो निम्नवत् है :–

1– <u>परिनियम– 10.05 अध्यापकों के वर्ग</u>

इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध करें कि वें अपने राज्य की संस्कृत संस्थाओं के संबंध में अपने स्तर पर आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करें।

2– <u>परिनियम– 11.14 महाविद्यालयों के अध्यापकों की अर्हतायें</u>

इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि "सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों (जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैं) की न्यूनतम् अर्हतायें वहीं होंगी, जो समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विनियमों के आधार पर

परिनियमों द्वारा विहित की जाय। अध्यापकों के चयन के लिये अपेक्षित उत्तम शैक्षिक अभिलेख वहीं होंगे, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किये जाय।''

3– <u>परिनियम– 11.15 अध्यापकों का चयन व नियुक्ति</u>

इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि ''11.15–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों आदि के उपबन्धों के अधीन (उत्तर प्रदेश स्थित सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्थिति में) रहते हुए, सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध–तंत्र महाविद्यालय के प्राचार्य और अध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर पूर्णकालिक आधार पर और सम्बन्धित राज्य सरकार या संघ क्षेत्र या स्थानीय निकाय या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतनमान में उपबन्धित रीति से नियुक्त करेगा।'' परन्तु पदों की स्वीकृति एवं वेतनमान अनुमन्य होने तक परिनियमावली में विहित व्यवस्था लागू रहेगी।

उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 एवं उसके बनाये गये नियमों/विनियमों में चयन एवं नियुक्ति से संबंधित प्रकिया एवं रीति विहित की गयी है। अन्य राज्यों की स्थिति में पूर्व व्यवस्था यथावत् बनी रहेगी।

4– <u>परिनियम– 11.16 से 11.30 को विलोपित किया जाना</u>

स्वीकार किया जाता है।

5– <u>परिनियम– 11.33</u>

इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि उच्चतर शिक्षा आयोग से अध्यापकों के चयन के फलस्वरूप अध्यापकों की ''चयन समिति'' के स्थान पर ''उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग'' रखा जाय।

6– <u>परिनियम– 12.01</u>

इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि शासनादेश के निर्देशानुसार माध्यमिक विद्यालयों को विश्वविद्यालय से अलग किया जाना और महाविद्यालयों की मात्र दो श्रेणियां निम्नवत रखी जाय।

(1) स्नातकोत्तर महाविद्यालय

(2) उपाधि महाविद्यालय

संस्कृत विश्वविद्यालय उ0प्र0 राज्य के बाहर की संस्थओं को भी सम्बद्धता देता है, अतः बाहरी राज्यों में संस्थाओं की श्रेणियां यथावत् रहेंगी।

7— <u>परिनियम— 12.02—संस्थओं का वर्गीकरण और पुनः वर्गीकरण</u>

प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

8— <u>परिनियम— 12.03—ए</u>

प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त परिनियमों में संशोधन का अनुमोदन उ0प्र0 शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग—1 की पत्रावली संख्या— 16(100)/2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय.

(अरविन्द मिश्र)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (विधि)।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग—1 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3— गार्ड फाइल।

(अरविन्द मिश्र)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (विधि)।

सं॰सा॰ 3176/2012 दिनांक 25/1/2012
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1- सचिव, कुलपति, कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2- समस्त संकायाध्यक्ष।
3- आशुलिपिक कुलसचिव/वित्ताधिकारी।
4- उपकुलसचिव (परीक्षा)।
5- सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6 सिस्टम मैनेजर -विश्वविद्यालय वेब-साइट में अंकित करने हेतु।
7 जनसम्पर्क अधिकारी।
8- सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी